सूची

क्र.सं.	मद	पृष्ठ सं.
1.	मिनट दर मिनट बैठक की कार्यवाही।	2
2.	परिचय एवं उद्देश्य।	3–4
3.	वर्तमान एजेण्डा ।	5
4.	प्रेम समूह के सदस्यों एवं विभागाध्यक्षों से प्राप्त सुझाव।	6–16
5.	पिछले प्रेम बैठक (15.05.2018) के कार्यवृत पर मदवार टिप्पणी।	17–28

मिनट दर मिनट प्रेम बैठक की कार्यवाही

क्र.सं.	मद	अधिकारी	बजे से	बजे तक
1.	प्रेम ग्रुप के सदस्यों का स्वागत।	उप महाप्रबंधक (सा.)	11.00	11.02
2.	अध्यक्ष/प्रेम ग्रुप द्वारा अध्यक्षीय सम्बोधन।	महाप्रबंधक	11.02	11.10
3.	प्रेम ग्रुप सदस्य के वक्तागण :–			
	ईसीआरकेयू	अध्यक्ष	11.10	11.40
		महासचिव		
		अपर महासचिव		
		सहायक महासचिव		
		महासचिव		
	एससी/एसटी एशो0	जोनल अध्यक्ष	11.40	11.50
		जोनल सचिव		
	ओ0बी0सी0 एशो0	जोनल अध्यक्ष	11.50	12.00
		जोनल सचिव		
	ईसीआरपीओए	अध्यक्ष	12.00	12.10
		महासचिव		
	ईसीआरओए	अध्यक्ष	12.10	12.20
		महासचिव		
	ईसीआरपीएफए	अध्यक्ष	12.20	12.25
		महासचिव		
4.	वर्तमान एजेण्डा पर विभागाध्यक्षों द्वारा चर्चा :	सभी विभागाध्यक्ष	12. 25	13.00
5.	वर्तमान एजेण्डा पर खुली चर्चा।	अध्यक्ष की अनुमति से	13.00	13.20
6.	धन्यवाद ज्ञापन।		13.20	13.22

परिचय

- प्रेम (PREM) –प्रबंधन में रेल कर्मचारियों की भागीदारी
- इसे रेल मंत्रालय स्तर पर वर्ष–1972 में एवं क्षेत्रीय रेल स्तर पर वर्ष–1977 में स्थापित किया गया था।
- भारतीय रेल में यह त्रिस्तरीय आधार पर कार्य करता है।
  1. रेलवे बोर्ड स्तर (श्रम प्रबंधन का कॉरपोरेट इंटरप्राइजेज समूह)
  2. क्षेत्रीय रेल स्तर
  3. मंडल रेल स्तर

रेलवे बोर्ड स्तर

- अध्यक्ष– अध्यक्ष रेलवे बोर्ड
- संयोजक– सचिव रेलवे बोर्ड
- प्रशासन की ओर से–सदस्य रेलवे बोर्ड,सलाहकार एवं कार्यकारी निदेशक
- कर्मचारी की ओर से–एआईआरएफ एवं एनएफआईआर के चार–चार प्रतिनिधि
- रेलवे अधिकारी संघ के –दो प्रतिनिधि
- रेलवे प्रोमोटी अधिकारी संघ के–दो प्रतिनिधि

क्षेत्रीय रेल स्तर

- अध्यक्ष– महाप्रबंधक
- सचिव – उप महाप्रबंधक/सामान्य
- प्रशासन की ओर से – अपर महाप्रबंधक एवं सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
- कर्मचारी की ओर से –ईसीआरकेयू(प्रभावित यूनियन) के चार प्रतिनिधि
- रेलवे अधिकारी संध के –दो प्रतिनिधि
- रेलवे प्रोमोटी अधिकारी संघ के –दो प्रतिनिधि
- एससी/एसटी संध के–दो प्रतिनिधि
- ओबीसी संध के–दो प्रतिनिधि
- आरपीएफ संध के–दो प्रतिनिधि

मंडल रेल स्तर

- अध्यक्ष– मंडल रेल प्रबंधक
- सचिव – वरि0 मंडल कार्मिक अधिकारी /मंडल कार्मिक अधिकारी
- प्रशासन की ओर से –अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं सभी शाख अधिकारी
- कर्मचारी की ओर से –ईसीआरकेयू (प्रभावित यूनियन) के चार प्रतिनिधि
- रेलवे अधिकारी संध के–दो प्रतिनिधि
- रेलवे प्रोमोटी अधिकारी संध के –दो प्रतिनिधि

वर्ष 2016 में क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित प्रेम बैठक

बैठक :तीन महीने में एक बार

- प्रथम बैठक : 29 अप्रैल 2016
- द्वितीय बैठक :02 सितम्बर 2016
- तृतीय बैठक :15 दिसम्बर 2016

वर्ष 2017 में क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित प्रेम बैठक

- प्रथम बैठक : 24 मार्च 2017
- द्वितीय बैठक : 24 अगस्त 2017
- तृतीय बैठक : 28 दिसम्बर 2017

वर्ष 2018 में क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित प्रेम बैठक

- प्रथम बैठक : 15 मई 2018

उद्देश्य

- रेलवे संगठन की व्यवहारिक कार्यक्षमता को विकसित करने और रेलवे की सेवा प्रदाता संगठन की छवि बनाये रखने के मुख्य उद्देश्य से प्रबंधन मे श्रमिकों की बेहतर और सुव्यवस्थित भागीदारी सुनिश्चित करना।
- रेलवे संगठन के संचालन और गठन करने हेतु विचारों का प्रमाणित एवं निर्बाध रुप से आदान–प्रदान करना।
- निवेश कार्यक्रमों खासकर आवास और कल्याण गतिविधियों का मूल्यांकन।
- नोटः कर्मचारी मामलों पर विमर्श तब तक नहीं हो सकता जब तक कि संगठन को समग्र उत्पादकता के साथ नहीं जोड़ा जाय।

प्रबंधन में **श्रमिकों की भागीदारी**

- 1917 में यूनाइटेड किंगडम में **बहीटले** समिति ने अनुशंसा की थी कि निम्न के विमर्श के लिए कर्मचारियों को भाग लेने का अवसर देना चाहिएः–
- संगठन, कर्मचारी और समुदाय के सामान्य लाभ के लिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए।
- उत्पादकता की प्रक्रिया में कर्मचारी को संगठन में उनकी भूमिका को बेहतर रुप से समझने के लिए।
- औद्योगिक शांति, बेहतर संबंध और सहयोग प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की स्वयं को अभिव्यक्त करने की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए।
- रेलवे में ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों को लंबे समय से साझा बनाते हुए श्रमिकों की भागीदारी निम्न विभिन्न क्षेत्रों के लिए रही हैः–
- कर्मचारी कल्याण निधि समिति
- आवास समिति
- रनिंग रुम सलाहकार समिति
- कैंटीन प्रबंधन समिति
- हॉस्पीटल विजिटिंग समिति
- श्रमिक सलाहकार समिति
- रेलवे इंस्टीट्यूट और क्लब का कार्यकारी समिति
- वर्कशॉप उत्पादकता परिषद्
- इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेल और मंडलों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, प्रबंधन और श्रमिकों की सामूहिक उद्यम समूह का गठन कर लिया गया है जिसे अब **प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी (प्रेम) कहा जाता है।**

चर्चा का विषय

1. पूर्व मध्य रेल में अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु उचित पहल।
2. स्वच्छता श्रमदान के द्वारा।

3. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शत –प्रतिशत कार्यान्वयन।
4. पूर्व मध्य रेल में सोशल मीडिया का समुचित प्रसार ।

वर्तमान एजेंडा पर विभागाध्यक्ष एवं प्रेम ग्रुप के सदस्यों से प्राप्त सुझाव/विचार :

अध्यक्ष/ ईसीआरकेयू	
एजेंडा–(1) पूर्व मध्य रेल में अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु उचित पहल।	
1.1	वृक्षारोपण को ग्रीन रेल आन्दोलन में बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि रेल के पास बहुत खाली जगह उपलब्ध है। इसके लिए निम्न मानक प्रक्रिया के माध्यम से संभव है :– • प्रत्येक क्षेत्र के आधार पर परिभाषित पेड़ों की लक्षित संख्या निर्धारित करनी होगी। • इस आन्दोलन (वृक्षारोपण) की निगरानी के लिए रेल के विशिष्ट विभाग को प्रभार देना होगा। • इस आंदोलन के लिए ग्रीन असिस्टेंस फंड बनाना होगा। • नियमित अंतराल पर प्रगति रिपोर्ट के लिए निगरानी करनी होगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है वृक्षारोपण कर नेम प्लेट लगवाने के बाद उस वृक्ष के बारे में कोई खोज–खबर नहीं ली जाती है। • वर्ष के अंत में सर्वेक्षण और प्रत्येक क्षेत्र के लिए रैंकिंग प्रकाशित की जानी चाहिए। • पुरस्कार एवं पहचान–रैंकिंग के आधार पर शीर्ष क्षेत्र से सम्मानित किया जाना चाहिए।
एजेंडा–(2) स्वच्छता श्रमदान के द्वारा।	
2.1	स्वयं स्वच्छता अभियान में मेरा सुझाव है– बापू के आर्शीवाद पुस्तक दिनांक – 8 जनवरी 1946 से एक उदाहरण है जब अंदरूनी और बाहरी स्वच्छता होता है तो यह धर्मनिष्ठता से आगे हो जाती है। इस मिशन से एक हिस्से के रूप में भारत को स्वच्छ करने के लिए हमें बहुत सरल उपाय की आवश्यकता है :– • स्वयं यत्र–तत्र गंदा न करें। केवल कुड़ेदान में कचरा फेकें। • थूकने को प्रोत्साहित न करें। ऐसा करने पर तुरंत निंदा करें। • Plastic cover, Plastic disposable के उपयोग से बचें। जब सामान खरीदारी के लिये आप जाते है तब अपने साथ बैग ले जाएं। अपने आस–पास के लोगों को भी सिखायें। • बच्चों को स्वच्छ एवं स्वच्छता के बारे में सिखायें। • अपने घर के चारो ओर वृक्षारोपण करें। • अपने घर में अलग–अलग सुखा में सूखा कचरा, गीले में गीला कचरा रखें। उसी तरह उसको घर से बाहर कचरा बॉक्स में ही डालें।
एजेंडा–(3) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शत –प्रतिशत कार्यान्वयन।	
3.1	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को रेलवे में भी शत– प्रतिशत लागू किया जाना चाहिए , जिस प्रकार आधार को कर्मचारियों के वेतन बिल से जोड़ा गया है, उसी प्रकार इन बीमा योजनाओं को भी कर्मचारियों के वेतन बिल से जोड़ दिया जाना चाहिए।
एजेंडा–(4) पूर्व मध्य रेल में सोशल मीडिया का समुचित प्रसार ।	
4.1	• पूर्व मध्य रेल में जोनल एवं मंडल स्तर पर विभागवार सोशल मीडिया साईट ग्रुप बनाया जाना चाहिये जिस पर कर्मचारियों के हित से संबंधित नियम/निर्देश नियमित रूप से पोस्ट किया जाना चाहिए। • कर्मचारियों के परिवार एवं छुट्टी इत्यादि आवेदन को भी सोशल मीडिया साईट के माध्यम से लेने एवं उसकी स्वीकृति भी इसी माध्यम से कर्मचारी तक पहुंचाने पर विचार किया जाना चाहिये। रेलवे की सभी उपलब्धियों को रेल कर्मचारियों के बीच सोशल मीडिया साईट द्वारा पहुंचाया जाना चाहिये।

महासचिव / ईसीआरकेयू

एजेंडा–(1) पूर्व मध्य रेल में अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु उचित पहल।

1.1

- रेलवे के जिन सेक्शनों का विद्युतीकरण हो चुका है उसमें रेल पटरी से एक निर्धारित दूरी के बाद दोनो ओर हरे–भरे छायादार वृक्ष लगाने की व्यवस्था की जाय। जो पर्यावरण के लिहाज से भी उचित होगा।
- आज के समय में वृक्षारोपण से पर्यावरण संतुलन बना रहेगा तथा समय पर उचित वर्षा की संभावना बनी रहेगी।
- सभी कैरेज डिपो, शेडों, डीजल शेडों, रेलवे कॉलोनियों तथा रेलवे के खाली जगहों पर वहां के कर्मचारियेां एवं अधिकारियों को वृक्षारोपण की पहल करनी चाहिए। जिससे वहां सुंदरता बढ़ने के साथ–साथ मन को स्थिर एवं शान्त चित्त करने में सहायक होगा। जो रेल कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा।

एजेंडा–(2) स्वच्छता श्रमदान के द्वारा।

2.1

स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। स्वच्छ वातारण एवं कार्यस्थल रेल कर्मचारियों के कार्य क्षमता को बढ़ावा देने में भी सहायक होता है। . स्टेशनों एवं कोचों की साफ–सफाई पर रेल प्रशासन का तो पूरा ध्यान रहता है किंतु कुछ जगहों पर जैसे कार्यस्थल पर टेबुल–कुर्सी आदि की सफाई स्वयं करने की पहल करनी चाहिए। यूनियन भी सेमिनार के माध्यम से रेल कर्मचारियेां एवं अपने सदस्यों को श्रमदान के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरुक करने का काम करती रहती है। रेलवे कॉलोनियों में सड़कों आदि की सफाई करने हेतु यूनियन पदाधिकारी एवं कार्यकर्त्ता स्वयं शामिल होकर श्रमदान हेतु कॉलोनी वासियों को प्रेरित करने का काम करते है।

एजेंडा–(3) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शत –प्रतिशत कार्यान्वयन।

3.1

योजना वास्तव में एक अच्छी योजना है। इसमें सभी रेल कर्मचारी सहित रेलवे के कार्य में संलग्न ठेकेदारी एवं आउटसोर्सिंग में कार्यरत श्रमिकों को भी शामिल कराना यूनियन की प्राथमिकता है। रेलवे प्रशासन से आग्रह होगा कि निविदा प्रक्रिया के समय ही इसे शामिल करने की आवश्यकता है।

दोनों ही बीमा योजना में नाम मात्र की राशि देकर दो–दो लाख रुपया का लाभ क्रमशः विकलांगता एवं मृत्यु की स्थिति में भुगतान का प्रावधान है।

इसके साथ–साथ रेल कर्मचारियों का वेतन भुगतान बैंकों से हो रहा है। किंतु कर्मचारी के जानकारी के अभाव में '' रेलवे सैलरी पैकेज'' योजना में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। बैंक भी इस मामले में कर्मचारी को शामिल करने में आनाकानी कर रहा है। जबकि इस योजना में बहुत प्रकार के लाभ मिलने का प्रावधान है, जैसे– बीमा लाभ, ऋण हेतु प्रोसेसिंग फीस में छूट, ब्याज–दरों में छूट, ए टी एम चार्ज में छूट आदि। रेलवे प्रशासन को उच्च स्तर पर एक बैठक का आयोजन कर इस योजना में रेल कर्मचारियों को शामिल करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

एजेंडा–(4) पूर्व मध्य रेल में सोशल मीडिया का समुचित प्रसार ।

4.1

पूर्व मध्य रेल में भी दिन–प्रतिदिन के कार्य को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने की आवश्यकता है। इससे कार्य क्षमता एवं परिचालन में सुधार एवं वृद्धि होगी। नियम–कानून एवं आदेशों की जानकारी अद्यतन मिलती है तथा अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। अतः पूर्व मध्य रेल में भी फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर, इंसटाग्राम, मेल आदि का व्यापक उपयोग का प्रचार–प्रसार करना चाहिए। यूनियन इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है।

अध्यक्ष/ईसीआर/एससी एण्ड एसटीएशो0

एजेंडा–(1) पूर्व मध्य रेल में अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु उचित पहल।

1.1

- पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने की जिम्मेदारी सभी की है। भारत के भू–भाग का एक बड़ा हिस्सा भारतीय रेल के पास है उसका भी अधिकांश हिस्सा परती है।
- पूर्व मध्य रेल के कार्यालयों, कारखानों, उत्पादन इकाइयों की जमीनों के अतिरिक्त रेल पटरियों के किनारे की जमीन परती है।
- इस जमीन पर सुनियोजित ढंग से वृक्षारोपण एवं बागवानी करके पर्यावरण को बचाने में अपनी महत्तवपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- यह पर्यटन और आय का साधन भी बन सकता है अच्छी किस्म के वृक्षों को लगाकर परिसर को आकर्षक बनाया जा सकता है। इसकी पहल की जा सकती है।

एजेंडा–(2) स्वच्छता श्रमदान के द्वारा।

2.1

- स्वच्छता श्रमदान अभियानों को चलाये जाने के साथ–साथ श्रमदान के भी माध्यम से रेल परिसर को साफ सुथरा रखने की पहल की जा सकती है।
- इसके लिए स्वैच्छिक श्रमदान समिति का गठन किया जा सकता है।
- श्रमदान से स्वच्छ हुए कार्यालय,स्टेशन ,कॉलोनी की समिति को राष्ट्रीय पर्व पर पुरस्कृत भी किया जा सकता है।

एजेंडा–(3) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शत –प्रतिशत कार्यान्वयन।

3.1

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देश के गरीब एवं निम्न आय वर्ग के लिए 12 रूपये वार्षिक प्रीमीयम वाली दुर्घटना बीमा योजना है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्रीमीयम 330 रूपये है। इस बीमा का विमित अवधि 18–50 वर्ष है और इसकी मैच्यूरिटी 55 साल है। इस दौरान बीमाधारक की मृत्यु होने पर 02 लाख राशि का भुगतान उसके नामनीज को प्राप्त होता है।

  इन सरकारी बीमा योजनाओं का लाभ देश के गरीब एवं निम्न आय वर्ग को मिलना चाहिये इसके लिए रेल के कार्मिक विभाग द्वारा रेल कर्मियों को एक अभियान चलाकर जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे इस योजना का प्रचार– प्रसार आस पास के गाँवों, मुहल्लों तथा शहरों में अधिक से अधिक कर सके। इससे देश की गरीब जनता को लाभ मिलेगा जो आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक आजादी का परिचायक होगा। इस योजना में रेल का भागीदार होना भी राष्ट्र के आर्थिक निर्माण में हिस्सेदार होना होगा।

एजेंडा–(4) पूर्व मध्य रेल में सोशल मीडिया का समुचित प्रसार ।

4.1

- आज के वर्तमान संदर्भ में सोशल मीडिया प्रचार–प्रसार का एक सशक्त माध्यम है।
- रेल अपने उपभोक्ताओं के लिए अनेक सुविधाएं, योजना एवं रियायतें लेकर आती है लेकिन समुचित जानकारी के अभाव में उपभोक्ता इन लाभों से वंचित रह जाता है। रेल कर्मी द्वारा किये गए अच्छे कार्यों की चर्चा सोशल मीडीया में होनी चाहिए।
- रेल को वक्त के साथ सोशल मीडिया से जुड़ना लाभकारी ही होगा जो हमारी आय को बढ़ाएगा तथा कमियो को दूर करने में मार्गदर्शन करेगा।

अध्यक्ष / ईसीआरपीएफ एशो0	
एजेंडा–(1) पूर्व मध्य रेल में अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु उचित पहल।	
1.1	• रेलवे प्रशासन के वे जमीन जिनका निकट भविष्य में उपयोग नहीं है उनमें वन विभाग के सहयोग से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाय एवं वैसे भूमि जिन पर अतिक्रमण कर स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग किया जा रहा है जिस पर विशेष अभियान चलाकर मुक्त कराया जाय और वृक्षारोपण किया जाय। • रेलवे कॉलोनी,कार्यालय परिसर एवं रेल लाइन किनारे वृक्षारोपण किया जाय। रेल कर्मचारियों के अपने –अपने आवासों में वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया जाय। • वृक्षारोपण के पश्चात वृक्षों के बचाव के लिए समुचित व्यवस्था किया जाय।
एजेंडा–(2) स्वच्छता श्रमदान के द्वारा।	
2.1	सभी विभागों के कर्मचारियों को अपने कार्यालय एवं कार्यालय परिसर को साफ रखने के लिए श्रमदान हेतु प्रेरित किया जाय। रेलवे आवास में रहने वाले कर्मचारी व उनके परिवार के बीच स्वच्छता बनाये रखने के लिए श्रमदान के लिए प्रेरित किया जाय एवं श्रमदान से स्वच्छ हुए आवास ,कार्यालय का चयन कर प्रोत्साहन हेतु प्रस्तुत किया जाय।
कार्यकारी / महासचिव / ईसीआरपीएफ एशो0	
एजेंडा–(1) पूर्व मध्य रेल में अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु उचित पहल।	
1.1	रेल के बहुत से भूखंड खाली पडे हुए हैं तथा रेल लाइन के बगल में खाली पड़े भूखंड में वृक्षारोपण कराया जाना चाहिए। प्रत्येक विभाग द्वारा एक निश्चित समयावधि के अंतराल पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए तथा व्क्षों के रख–रखाव हेतु जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। मंडल स्तर पर वृक्षारोपण प्रतियोगिता कराया जाना चाहिए तथा सबसे अच्छे वृक्षारोपण करने वाले विभाग को पुरस्कृत किया जाना चाहिए।
एजेंडा–(2) स्वच्छता श्रमदान के द्वारा।	
2.1	प्रत्येक साप्ताहिक छुट्टी में वरिष्ठ अधिकारियों के सुपरविजन में अपने–अपने कार्यालयों तथा क्षेत्राधिकारों में स्वच्छता श्रमदान करना चाहिए।
एजेंडा–(3) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शत –प्रतिशत कार्यान्वयन।	
3.1	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को समीक्षा बैठक में अधिकारीगण को योजना के बारे में अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को योजना के लाभ बताने से योजना का विस्तार कर्मियों में होगा तथा इसकी लाभ की सूचना , सूचना पट पर दर्शाई जानी चाहिए।
एजेंडा–(4) पूर्व मध्य रेल में सोशल मीडिया का समुचित प्रसार ।	
4.1	पूर्व मध्य रेल का ट्विटर,फेसबुक, वाट्सएप द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों ,स्टेशनों के परामर्शदात्री सदस्यों, माल बुक करने वाले व्यापारियों तथा ग्रुप सी एवं डी कर्मियों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों का प्रचार–प्रसार कर सके तथा सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हो सके।

प्रमुसिदूइं		
एजेंडा–(1) पूर्व मध्य रेल में अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु उचित पहल।		
1.1	जब कोई व्यक्ति रेलवे में नौकरी ज्वाईन करता है अथवा उसका प्रोमोशन होता है या उसकी सेवानिवृति होती है उस वक्त वह कम से कम एक पेड़ लगाये इसके लिए उसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। वृक्षारोपण के लाभ के बारे में अवगत कराने तथा जागरूकता लाने हेतु सेमिनार इत्यादि की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस विषय पर नुक्कड़ नाटक का भी प्रदर्शन किया जा सकता है। जो पौधे लगाये भी जाते हैं उनकी उचित देखभाल नहीं होने के कारण वे सूख जाते हैं। लगाये गये पौधों के संरक्षण कें लिए स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है। पौधों के संरक्षण हेतु इसे गोद लेने की व्यवस्था की जा सकती है।	प्रमुसिदूइं
एजेंडा–(2) स्वच्छता श्रमदान के द्वारा।		
2.1	स्वच्छता हेतु श्रमदान सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा महीने में एक बार एक घंटा के लिए करना चाहिए। श्रमदान हेतु क्षेत्र का निर्धारण करते हुए एक एक टीम बनाकर उस क्षेत्र की स्वच्छता हेतु जिम्मेदारी दी जा सकती है। श्रमदान की गुणवत्ता की सुनिश्चिता करने हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार की व्यवस्था की जा सकती है।	प्रमुसिदूइं
एजेंडा–(3) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शत –प्रतिशत कार्यान्वयन।		
3.1	इस योजना के बारे में एक आम आदमी को इसकी समुचित जानकारी नहीं है। इसके प्रचार–प्रसार हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए तथा ईसीआर के सोशल मीडिया पर भी इससे होने वाले लाभों को डाला जा सकता है ताकि इसका प्रचार–प्रसार हो सके।	प्रमुसिदूइं
एजेंडा–(4) पूर्व मध्य रेल में सोशल मीडिया का समुचित प्रसार ।		
4.1	सोशल मीडिया के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिये इसका समुचित प्रचार–प्रसार किया जाये।	प्रमुसिदूइं
प्रमुपरिप्र		
एजेंडा–(1) पूर्व मध्य रेल में अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु उचित पहल।		
1.1	रेलवे के पास काफी खाली जगह रहता है, जिसमें वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इसके लिए स्वयं सेवी संस्था/सरकारी विभाग (राज्य स्तरीय एवं केंद्र स्तरीय) जो भी ऐसे कार्यों को संपन्न करते है उनसे संबंध स्थापित कर इस कार्य को कराया जा सकता है । रेल कर्मचारियों में इसकी जागरूकता लाना एवं इसे प्रोत्साहित करना । रेलवे कॉलोनी, संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को प्रेरित कर, वहां इसके महत्व के बारे में बताकर और उनके बीच प्रचार–प्रसार कर वृक्षारोपण को और अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा सकता है ।	प्रमुपरिप्र
एजेंडा–(2) स्वच्छता श्रमदान के द्वारा।		
2.1	स्वच्छता से देवत्व की प्राप्ति होती हैं। स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ शरीर का वास होता हैं अर्थात् स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है । इसी कारण से सभी व्यक्ति से यह संपन्न होना चाहिए । हमें हमेशा सफाई कर्मी पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें खुद ही इसके लिए पहल करना चाहिए और इससे ही श्रमदान होता है । हमें खुद ही समय निकाल कर प्रतिदिन अपने आस–पास, कार्यालय में श्रमदान कर स्वच्छता को बढ़ावा देना चाहिए । इससे खुद को फायदा होता है। श्रमदान से शारीरिक विकास के साथ वातावरण भी सुंदर होगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा ।	प्रमुपरिप्र

एजेंडा–(3) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शत –प्रतिशत कार्यान्वयन।		
3.1	अपने परिवार को 4 लाख रूपये का सुरक्षा कवच देना चाहते हैं तो मई माह के अंत तक अपने बैंक अकाउंट में 342 रूपये रखना जरूरी होता है । यह सुरक्षा मोदी सरकार की दो स्कीमों के तहत मिलती है । यह स्कीम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है । पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का सालाना प्रीमियत 330 रूपये और सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम 12 रूपये है । इस स्कीम का लाभ लेने वालों के अकाउंट में दोनों प्रीमियम को मिलाकर 342 रूपये रखना जरूरी हैं । ये बात लाभार्थी को बतानी बहुत ही जरूरी हैं नहीं तो इश्योरेंस रद्द हो जाएगा । 4 लाख रूपये का सुरक्षा कवच दोनों स्कीम को मिलाकर है । प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : यह योजना हर साल रिन्यू होती है । इसका वार्षिक प्रीमियम 330 रूपये हैं । 18 से 50 साल तक की उम्र का इंसान इस योजना का लाभ ले सकता है । लेकिन इसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है । इसके तहत 55 साल तक का लाइफ कवर मिलता है । किसी भी कारणवश इंश्योरेंस कराने वाले की मौत होने पर नॉमिनी को 2 लाख रूपये का कवर मिलता है । इसमें कुछ शर्त भी हैं, जैसे बैंक अकाउंट बंद हो जाने या प्रीमियम कटने के टाइम पर पर्याप्त बैलेंस न होने से इंश्योरेंस रद्द हो सकता है । हालांकि आप फिर से सालाना प्रीमियम देकर इस योजना से फिर जुड़ सकते हैं । ये सारी बातें लाभार्थी को बताने से ही इनका शत–प्रतिशत कार्यान्वयन किया जा सकता है ।	प्रमुपरिप्र
एजेंडा–(4) पूर्व मध्य रेल में सोशल मीडिया का समुचित प्रसार ।		
4.1	वर्तमान समय सूचना क्रांति का समय है। इससे प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है और अपना रेलवे इससे अछूता नहीं है । सोशल मीडिया भी सूचना के आदान–प्रदान का एक त्वरित साधन हैं । आज हमारे रेलवे का कार्य भी काफी विस्तृत हैं और यह सुदूर क्षेत्रों तक फैला हुआ हैं जहां से अपने पर्यवेक्षक और अधिकारियों तक सूचना का आदान प्रदान की जरूरत पड़ती हैं । इसके लिए सोशल मीडिया का उपयोग रेल में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है । इसे और पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की भी जरूरत हैं और इसके लिए सभी या संबंधित कर्मचारी को इसकी सुविधा भी देनी पड़ेगी । कार्यशाला का भी आयोजन समय–समय पर कर्मचारी को और सशक्त बनायेगा ।	प्रमुपरिप्र
प्रमुयांई		
एजेंडा–(1) पूर्व मध्य रेल में अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु उचित पहल।		
1.1	रेलवे कॉलोनी, संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को प्रेरित कर, वहां इसके महत्व के बारे में बताकर और उनके बीच प्रचार–प्रसार कर वृक्षारोपण को और अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा सकता है ।	प्रमुयांई
एजेंडा–(2) स्वच्छता श्रमदान के द्वारा।		
2.1	विगत दो स्वच्छता पखवाडों के दौरान विषेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा श्रमदान कर इस अभियान को सफल बनाया गया। स्वच्छता ही सेवा पखवाडा के दौरान पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों एवं रेलवे परिसरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया । मधुबनी रेलवे परिसर, मुख्य द्वार, प्लेटफॉर्म के दीवारों एवं अन्य रेल भवनों पर एक सौ से अधिक क्षेत्रीय पुरूष एवं महिला कलाकारों द्वारा मिथिला पेंटिंग की चित्रकारी की गई, जो कि स्वच्छता हेतु श्रमदान का एक अद्वितीय उदाहरण है। विस्तृत ब्यौरा हेतु पूर्व मध्य रेल के स्वच्छ भारत मिशन वेब पेज पर देखा जा सकता है।	प्रमुयांई

एजेंडा–(3) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शत –प्रतिशत कार्यान्वयन।		
3.1	रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्रांक 2018 /ट्रांस /सेल/मेक/ सेवा अनुबंध 02.02.2018 के माध्यम से सेवाओं के लिए जीसीसी जारी की गई है। **PMJDY, PMSBY** आदि जैसी सरकारी योजनाओं को जीसीसी के पैरा 6.17 के अनुसार संविदात्मक कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।	प्रमुयांई
एजेंडा–(4) पूर्व मध्य रेल में सोशल मीडिया का समुचित प्रसार ।		
4.1	पूमरे की उपलब्धि/सूचना/जानकारी को सोशल मीडिया के व्हाट्स एप्प, फेसबुक का सहारा लिया जाना चाहिए।	प्रमुयांई
प्रमुचिनि		
एजेंडा–(1) पूर्व मध्य रेल में अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु उचित पहल।		
1.1	वृक्ष हमारे लिए कई प्रकार से लाभदायक है। जीवों द्वारा छोडे गए कार्बन डाइ–ऑक्साइड को ये जीवन दायिनी ऑक्सीजन में बदल देते है। इनकी पत्तियों, छालों एवं जड़ों से हम विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाते है । इसलिए हर कर्मचारी व अधिकारी द्वारा वृक्ष लगाया जाना चाहिए तथा इसकी देख–रेख भी किया जाना चाहिए ताकि एक भी वृक्ष मर न सके । खाली पडे जगहों को चिह्न्त कर वृक्ष लगाया जाना चाहिए।	प्रमुचिनि
एजेंडा–(2) स्वच्छता श्रमदान के द्वारा।		
2.1	महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिये थे। हमे सप्ताह में एक वार कम से कम 01 घंटा का समय कार्यालय में स्वच्छता के लिए रहेगा इससे कार्यालय में फाईल की सुंदरता बनी रहेगी तथा कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपने आवास के पास साफ–सफाई भी करना चाहिए ।	प्रमुचिनि
एजेंडा–(3) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शत –प्रतिशत कार्यान्वयन।		
3.1	रेलवे ठेकेदार के अधीन कार्यरत मजदूर हेतु लाभकर होगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर मात्र 12/– सालाना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 330/– सालाना लगता है, इसके लिए आधार लिंक व सरकारी बैंक में खाता होना अति आवश्यक है। इसके लिए प्रसार–प्रचार भी किया जाना चाहिए।	प्रमुचिनि
एजेंडा–(4) पूर्व मध्य रेल में सोशल मीडिया का समुचित प्रसार ।		
4.1	सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा बन गया है। पूमरे में आज सभी कार्य कंप्यूटर पर किया जाता है तथा दूसरे कार्यालयों से पत्राचार सोशल मीडिया से (ईमेल, वॉट्सएप आदि) के माध्यम से पत्र का आदान–प्रदान किया जाना आसान हो गया है, देश हो या विदेश में भी आसानी से पत्राचार किया जाता है जिससे समय , कागज व रेलवे राजस्व की बचत होती है।	प्रमुचिनि

प्रविस		
एजेंडा–(1) पूर्व मध्य रेल में अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु उचित पहल।		
1.1	सजावटी पौधो के साथ–साथ फलदार व औषधीय पौधों का भी रोपण किया जाए। साथ ही कुछ बड़ी छायादार पौधें के साथ दुर्लभ पौधों जों विलुप्ती के कगार पर आ गई हो उस का भी रोपण किया जाना चाहिए। अत्यधिक सघन आबादी वाले स्थानों जैसे लोको शेड, कारखाना, बड़े स्टेशन इत्यादि के पास सजावटी पौधों के साथ–साथ बड़े पौधों के रोपण कार्य को बढ़ाई जाए ताकि वहा का वातावरण स्वच्छ बना रहे।	प्रविस
एजेंडा–(2) स्वच्छता श्रमदान के द्वारा।		
2.1	कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के पास छोटा–छोटा बंद डस्टबीन रखा जाय, जिसमे कार्य के दौरान निकलने वाली स्टेशनरी स`संबंधित बेकार वाली सामान को डाला जाय। साथ ही साथ स्वच्छता अपनाने संबंधी बिन्दुओं को बोर्ड पर लिखवाकर लगाया जाए जिससे जागरूकता बढ़े। स्वच्छता से जुड़ें कार्यो में व्यक्तियों द्वारा दिये गये योगदान की चर्चा हेतु मासिक/वार्षिक आधार पर कार्यालय में एक दिन चर्चा का आयोंजन किया जाए।एक कार्य योजना बनाकर एक स्वच्छता दूत की भांति सभी लोगों में स्वच्छता में योगदान देने हेतु अनुरोध करना चाहिए।	प्रविस
एजेंडा–(3) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शत –प्रतिशत कार्यान्वयन।		
3.1	इस योजना से संबंधित सभी तथ्यों को लोगो के बीच प्रचार–प्रसार कर इसका शत प्रतिशत कार्यान्वयन किया जा सकता है।	प्रविस
एजेंडा–(4) पूर्व मध्य रेल में सोशल मीडिया का समुचित प्रसार ।		
4.1	इस दिशा में पूर्व मध्य रेल से जुड़ी सभी कार्यालयों को पत्र द्वारा अवगत करा दिया गया है व सभी से इसका समुचित प्रसार हेतु आवश्यक कदम उठानें का आग्रह भी किया गया है।	प्रविस
प्रमुसुआ		
एजेंडा–(1) पूर्व मध्य रेल में अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु उचित पहल।		
1.1	वर्तमान समय में पर्यावरण असंतुलन एक विकट समस्या होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप तरह तरह की त्रासदी होती रहती है । खाली पड़े जमीन पर अधिकाधिक वृक्षारोपण करके पर्यावरण असंतुलन में सुधार लाया जा सकता है, जिसके लिए प्रत्येक विभाग द्वारा समय–समय पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए तथा रोपण उपरांत रख–रखाव का भी ध्यान रखना चाहिए ।	प्रमुसुआ
एजेंडा–(2) स्वच्छता श्रमदान के द्वारा।		
2.1	स्वच्छता हेतु श्रमदान का आयोजन किया जा सकता है । प्रत्येक विभाग द्वारा समय–समय पर श्रमदान का समय निर्धारित कर स्वच्छता कार्यक्रम चलाना चाहिए । उक्त कार्यक्रम के आयोजन से लोगों/कर्मियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संचार होगा ।	प्रमुसुआ
एजेंडा–(3) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शत –प्रतिशत कार्यान्वयन।		
3.1	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शत–प्रतिशत कार्यान्वयन हेतु शिविर/गोष्ठी आदि के द्वारा कर्मचारियों को उक्त बीमा योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए तथा व्यापक प्रचार–प्रसार करना चाहिए । लाभ संबंधी जानकारी सूचना बोर्ड पर लगाना चाहिए ।	प्रमुसुआ

एजेंडा–(4) पूर्व मध्य रेल में सोशल मीडिया का समुचित प्रसार ।		
4.1	पूर्व मध्य रेल के सोशल मीडिया के समुचित प्रसार हेतु इसे ट्वीटर, फेसबुक, वाट्सएप आदि से यात्रियों, कर्मचारियों, व्यापारियों आदि से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि कार्यों का प्रचार–प्रसार हो सके और सुधार हेतु सुझाव प्राप्त हो सके तथा कर्मचारियों द्वारा किये गये अच्छे कार्यों का व्यापक प्रचार–प्रसार हो सके ।	प्रमुसुआ
प्रमुवाप्र		
एजेंडा–(2) स्वच्छता श्रमदान के द्वारा।		
2.1	रेलवे में विभिन्न अवसरों पर चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान के अवसर पर विभिन्न चेरिटेबल ,धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों जैसे सुलभ इंटरनेशनल ,संत निरंकारी चेरिटेबल फाउंडेशन एवं ब्रम्ह कुमारी इत्यादि संगठनों से सफाई कार्यों में श्रमदान लिया जाता है। श्रमदान के द्वारा स्वच्छता के प्रस्तावित किसी भी आयोजन में निम्नांकित क्रिया कलाप पर विचार किया जा सकता हैः– (1)'A-1' और A' श्रेणी के स्टेशनों के प्लेटफार्म एरिया और परिसर ,कॉलोनी आदि में सफाई अभियान किसी पूर्व निर्धारित दिन को चलाया जाय ,जिसमें अधिकारी एवं कर्मचारी भी श्रमदान करें। इस अभियान में स्वच्छता से जुड़े स्लोगन बैनर का प्रर्दशन भी होता रहे और उद्घोषणा प्रणाली द्वारा भी इसे प्रचारित किया जाए। (2)यह अभियान अन्य स्टेशनों यथा 'B' से 'E' श्रेणी के स्टेशनों पर भी आयोजित किया जाना चाहिए किंतु विभिन्न तिथियों पर बिना कार्य प्रणाली बाधित किए।	प्रमुवाप्र
एजेंडा–(4) पूर्व मध्य रेल में सोशल मीडिया का समुचित प्रसार।		
4.1	• त्वरित कार्य निष्पादन में सोशल मीडिया महत्वपूर्ण योगदान करना आरंभ कर दिया है। • यात्रियों से सोशल मीडिया यथाTwitter, SMS, CPGRAMS आदि के द्वारा उनकी शिकायत /सुझााव प्राप्त करते है। • Whatsapp जैसे Social Media के उपयोग से इन शिकायतों /सुझाावों पर अमल करने हेतु संबंधित विभागों/अधिकारियों और कर्मचारियों को त्वरित संदेश देकर निष्पादन भी कर रहे है।	प्रमुवाप्र
प्रमुसाप्र		
एजेंडा–(1) पूर्व मध्य रेल में अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु उचित पहल।		
1.1	आज के परिदृश्य में प्रकृति की वीभत्स घटनाओं व पर्यावरण में असंतुलन से पूरी पृथ्वी प्रभावित हो रही है। इन सभी प्राकृतिक घटनाओं के मूल में वृक्षों का कटाव अहम है। अतः अधिकाधिक वृक्षारोपण प्राकृतिक संतुलनता के लिए आवश्यक है। अतः इस संदर्भ में मंडल एव क्षेत्रीय स्तर पर रेल कर्मचारियों/अधिकारियों को जागरूक करने तथा तथ्यपरक योजना बनाने की आवश्यकता हैः– • कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा निवृति के समय वृक्षारोपण उनके संबंधित कार्यालय परिसर में आवश्य किया जाए । • नये कर्मचारियों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। • योजना बनाकर रेलवे के अनुपयोगी जमीन में वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	प्रमुसाप्र

	एजेंडा–(2) स्वच्छता श्रमदान के द्वारा।	
2.1	स्वच्छता का अर्थ है स्वच्छ मन, तन एवं स्वच्छ वातावरण । हमें इस दिशा में स्वच्छ तन मन के साथ स्वच्छ वातावरण बनाने की दिशा में कार्य करना है अधिकारिक तौर पर स्वच्छता के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। रेलवे के परिपेक्ष्य में मंडल व क्षेत्रीय कार्यालय परिसर को स्वच्छ रखने में कर्मचारियों अधिकारियों के बीच जागरूकता लाने की आवश्यकता है। एक योजना बनाने की आवश्यकता है कि सभी वर्ग श्रमदान द्वारा संबंधित कार्यालय परिसर को स्वच्छ रखें।	प्रमुसाप्र
	एजेंडा–(3) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शत –प्रतिशत कार्यान्वयन।	
3.1	इन योजनाओं का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई 2015 को किया गया था। इसके तहत समाज के सभी वर्गों को मृत्यु उपरांत/दुर्घटना बीमा असान वार्षिक किश्त पर उपलब्ध कराना है। इसके तहत एक विस्तृत योजना बनाकर रेलवे कर्मचारियों को इसके तहत लाने की आवश्यकता है तथा संबंधित विभाग द्वारा योजना बनाकर रेलवे कर्मचारियों के वेतन से ही बीमा राशि का काटा जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	प्रमुसाप्र
	एजेंडा–(4) पूर्व मध्य रेल में सोशल मीडिया का समुचित प्रसार।	
4.1	सोशल मीडिया का तात्पर्य कर्मचारियों/अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का आदान–प्रदान होना है। सभी सूचनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए तथा कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्य रूप से इंटरनेट आधारित सॉफ्टवेयर यथा इमेल, वाटस्एप आदि का प्रचार होना आवश्यक है। भंडार विभाग इस संदर्भ में ई–निविदा/ई–निलामी को अपनाकर कार्य में पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार भारतीय रेल में समरूपता लाने के लिए.www.ireps.gov.in निविदा संबंधी/ निलामी संबंधी कार्यो के लिए सुनिश्चित है ठीक उसी प्रकार एक वाट्सएप ग्रुप होना चाहिए जिससे मंडल एवं क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों को एक सूत्र में बांधकर सूचना का समुचित एवं त्वरित प्रसार हो सके।	प्रमुसाप्र
	प्रमुइं	
	एजेंडा–(1) पूर्व मध्य रेल में अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु उचित पहल।	
1.1	वृक्षारोपण पर्यावरण के लिए अच्छा है। इसलिए हमसभी रेल कर्मचारियों को वृक्षारोपण हेतु आपने आप से दृढ प्रतिज्ञा करना चाहिए कि वर्ष में कम–से–कम एक पेड़ लगाये एवं अपने आस –पास के लोगो को भी इसके के लिए प्रोत्साहित करे।	प्रमुइं
	एजेंडा–(2) स्वच्छता श्रमदान के द्वारा।	
2.1	महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। उन्होंने ''स्वच्छ भारत'' का सपना देखा था इसलिए हम सब मिलकर स्वच्छता अभियान के लिए अपना समय देने की शपथ लें कि ''हर वर्ष सौ घंटे यानी हर सप्ताह दो घंटे श्रम दान कर के स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा,मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा, सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से शुरूआत करूंगा।'' स्वच्छता संबंधी कार्यो के लिए श्रम दान करने हेतु लोगो को निमत्रंण भेजें और उन्हें प्रेरित करें।	प्रमुइं
	एजेंडा–(3) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शत –प्रतिशत कार्यान्वयन।	
3.1	**प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना** का लाभ 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के आयु का कोई भी नागरिक उठा सकता है। सालाना प्रीमियम 12 रूपये है । **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना**– प्रधानमंत्री जीवन ज्योति ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष आयु समूह के कोइ भी व्यक्तिय इसका लाभ ले सकता है। सालाना प्रीमियम 330 रूपये है।	प्रमुइं

	इस स्कीम का लाभ लेने वालों के अकाउंट में दोनों प्रीमियम को मिलाकर 342 रूपये रखना जरूरी हैं । ये बात लाभार्थी को बतानी बहुत ही जरूरी हैं नहीं तो इश्योरेंस रद्द हो जाएगा । 4 लाख रूपये का सुरक्षा कवच दोनों स्कीम को मिलाकर है । इस योजना के तथ्यों का व्यापक प्रचार– प्रसार किया जाना चाहिए।	
	एजेंडा–(4) पूर्व मध्य रेल में सोशल मीडिया का समुचित प्रसार।	
4.1	सोशल मीडिया एक अपरंपरागत मीडिया है। यह एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है। जिसे इंटरनेट के माध्यम से पहुंच बना सकते हैं। सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है, जो कि सारे संसार को जोडे रखता है। यह संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है। यह द्रुत गति से सुचनाओं के आदान–प्रदान करने, जिसमें हर क्षेत्र की खबरें होती है को समाहित किए होता है। सोशल मीडिया सकारात्मक भूमिका अदा करता है जिससे किसी भी व्यक्ति,संस्था,समूह और देश आदि को अर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप समृद्ध बनाया जा सकता है। यह बहुत तेज गति से होने वाला संचार का माध्यम है। यह जानकारी को एक ही जगह इकट्ठा करता है। अपने कार्य कलापों में सोशल मीडिया को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे और दूसरे को भी उपयोग करने हेतु प्रेरित करे ताकि कम समय में ज्यादा कार्य किया जा सके।	प्रमुइं
	मुप्रधि/नि./उ	
	एजेंडा–(1) पूर्व मध्य रेल में अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु उचित पहल।	
1.1	अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के खाली जगहों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इस योजना के तहत पाटलिपुत्र रेल परिसर दीघा में केवल इसी मानसून में करीब 250 पेड़ लगाये जा चुके है। इस तरह इस परिसर में अबतक करीब 750 पेड़ लगाए जा चुके है।	मुप्रधि/नि. /उ
	एजेंडा–(2) स्वच्छता श्रमदान के द्वारा।	
2.1	सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्य स्थल और कार्यालय स्थल में साफ–सफाई के लिए मौखिक एवं लिखित आदेश दिये जा रहे है। पुराने टुटे फुटे समानो और फर्नीचर के रेलवे के नियमों के अनुसार बदलने के लिए प्रयत्न किये जा रहे है। बहुत पुराने फाइल कागजातो का निष्पादन नियमानुसार करने की कार्रवाई की है। इस क्रम में महेन्द्रुघाट स्थित सभी विभागों से निष्पादित की जाने लायक फाइलों कागजातो की स्थिति मांगी गई है। सभी कर्मचारी द्वारा भी अपने कार्यस्थल की स्वच्छता का खुद ध्यान रखने के लिए अधिकारियों द्वारा वार्ता के माध्यम् से उत्साहित किया जा रहा है।	मुप्रधि/नि. /उ
	एजेंडा–(3) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शत –प्रतिशत कार्यान्वयन।	
3.13	कार्मिक विभाग द्वारा सभी मुख्यालय तथा फील्ड ईकाईयों को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई हेतु निरीक्षक द्वारा फील्ड में भ्रमण कर सभी रेलवे कर्मचारी से संपर्क कर तथा इसके फायदों को बताकर फार्म भरने के लिए उत्साहित किए जा रहे हैं। निर्माण विभाग के संवेदकों के माध्यम से उनके कर्मचारी के भागीदारी सुनिश्चत कराने के प्रयास किए जा रहे है इसके लिए कार्य निरीक्षक को दिशा निर्देश दिया जा चुका है।	मुप्रधि/नि. /उ
	एजेंडा–(4) पूर्व मध्य रेल में सोशल मीडिया का समुचित प्रसार।	
4.14	वाट्सएप द्वारा सभी सूचनाओं का आदान–प्रदान आवश्यक पत्राचार एवं दिशा निर्देश उचित तरह से प्रयोग किया जा रहा है। कर्मचारियों एवं अधिकारियो के समस्याओं एवं शंकाओं का निवारण भी तुरंत हो रहा हैं इससे समय की बचत एवं तुरंत कारवाई सुनिश्चत होती है। निर्माण विभाग इस दिशा में बहुत तेजी से अग्रसर है।	मुप्रधि/नि. /उ

पिछला प्रेम बैठक (दिनांक 15.05.2018) के कार्यवृत पर मदवार टिप्पणी :–

क्र.सं.	मद	विभागाध्यक्ष	अभियुक्ति
1.0	**श्री विश्व मोहन सिंह , अध्यक्ष/ ईसीआरकेयू**		
1.1	रेलवे में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	नोट किया गया।– **मुसंधि** अनुपालन हेतु नोट किया गया । रेसुब में नियुक्त महिला बलकर्मियों की सुरक्षा की दृष्टि से अकेले ड्यूटी नहीं लगाने का हर संभव प्रयास किया जाता है ।– **प्रमुसुआ** नोट किया गया।– **प्रविस** नोट किया गया एवं इसका पालन करना सुनिश्चित किया जाता है। –**प्रमुसाप्र** महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है।––**मुप्रधि/नि.** कार्यालय में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाता है।–**प्रमुयांई** नोट किया गया।– **प्रमुविइं** अनुपालन किया जा रहा है ।–**प्रमुसिदूइं** महिला कर्मचारियों को कार्यालय में सुरक्षा हेतु विशेष ध्यान दिया जाता है। –**प्रमुचिनि** कार्यरत महिला कर्मचारी के समस्याओं का निराकरण नियमानुसार किया है। जंहा रोस्टर ड्यूटी होती है,वहां यथासंभव उन्हें दिन की पाली में ही ड्यूटी पर तैनात किया जाता है। तथापि, विशेष परिस्थिति में सप्ताह में अधिकतम दो बार रात्रि पाली में तैनाती होती है।–**प्रमुवाप्र** नोट किया गया। – **प्रमुपरिप्र** नोट किया गया। – **प्रमुकाधि** महिला कर्मचारियों को कार्य स्थल पर सुरक्षा हेतु विशेष ध्यान दिया जाता है। **–प्रमुइं**
1.2	महिला कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने के लिए समुचित प्रोत्साहन दिया जाए ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	नोट किया गया।– **मुसंधि** महिला बल कर्मियों/बल सदस्यों का मनोबल ऊंचा बनाए रखने के लिए समय–समय पर पुरस्कृत किया जाता है ।– **प्रमुसुआ** समय–समय पर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाती है।– **प्रविस** नोट किया गया एवं इसका पालन करना सुनिश्चित किया जाता है। –**प्रमुसाप्र** यथासंभव प्रोत्साहन दिया जा रहा है। –**मुप्रधि/नि.** महिला कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने के लिए समय–समय पर प्रोत्साहन दिया जाता है।–**प्रमुयांई** विद्युत विभाग में महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। – **प्रमुविइं** अनुपालन किया जा रहा है ।–**प्रमुसिदूइं** सुनिश्चित किया जाता है।–**प्रमुचिनि**

			महिला कर्मचारियों को समय–समय पर पुरस्कृत कर मनोबल बढ़ाया जाता है।– **प्रमुवाप्र** अनुपालन हो रहा है।– **प्रमुपरिप्र** नोट किया गया। – **प्रमुकाधि** महिला कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने हेतु ध्यान दिया जाता है।**–प्रमुइं**
1.3	सुरक्षा की सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराकर महिला कर्मचारियों को उनके पद के अनुरूप कार्यभार दिया जाए ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	महिला कर्मचारियों को उनके पद के अनुरूप कार्यभार दिया गया है।– **मुसंधि** रेसुब में पदस्थापित महिला कर्मियों से उनके पद के अनुरूप ही कार्य लिया जाता है ।– **प्रमुसुआ** नोट किया गया।– **प्रविस** महिला कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार कार्यभार दिया गया है।– **मुप्रधि/नि..** महिला कर्मियों को उनके पद के अनुरूप कार्य दिया गया है।**–प्रमुयांई** नोट किया गया।– **प्रमुविइं** अनुपालन किया जा रहा है ।**–प्रमुसिदूइं** चिकित्सा विभाग में महिला कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार कार्य दिया जाता है।**–प्रमुचिनि** महिला कर्मचारियों की तैनाती सुरक्षित स्थल पर ही की जाती है। कतिपय पदों के प्रतिकूल कार्य–प्रकृति को ध्यान में रखते हुए,उनकी तैनाती अनुकूल स्थानों पर की जाती है।– **प्रमुवाप्र** परिचालन विभाग में सभी महिला कर्मचारी से उनके पद के मुताबिक ही काम लिया जाता है। – **प्रमुपरिप्र** सभी महिला रेलकर्मियों को उनके पद के अनुसार हीं कार्य सौंपा जाता है। – **प्रमुकाधि** महिला या किसी अन्य कर्मचारियों को उनके पद के अनुरूप ही कार्यभार दिया जाता है।**–प्रमुइं**
1.4	रेलवे में कुछ कार्यों की पहचान कर महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें उन कार्यो को सौंपा जाए ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	नोट किया गया।– **मुसंधि** नोट किया गया।– **प्रविस** नोट किया गया। –**प्रमुसाप्र** इस संबंध में प्रयास जारी है।– **मुप्रधि/नि.** नोट किया गया।– **प्रमुविइं** आवश्यकता अनुसार अनुपालन किया जाएगा।**–प्रमुसिदूइं** सुनिश्चित किया जाता है।**–प्रमुचिनि** वाणिज्य विभाग में बुकिंग ,आरक्षण ,स्टैटिक टिकट चेंकिंग जैसे कार्यों में विशेष तौर पर दिन की अवधि में महिला कर्मचारियों के समूह की तैनाती की जाती है।**–प्रमुवाप्र** नोट किया गया।– **प्रमुपरिप्र** इसकी समीक्षा की जायेगी।– **प्रमुकाधि** कार्य की आवश्यकता अनुसार इस पर विचार किया जा सकता है। **–प्रमुइं**
1.5	महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों को निपटाने के लिए	सभी प्रविभागाध्यक्ष	नोट किया गया।– **मुसंधि** अनुपालन हेतु नोट किया गया है ।– **प्रमुसुआ**

	एक अलग से विशेष सेल का अविलंब गठन किया जाए ।		नोट किया गया।– **प्रविस** नोट किया गया एवं इसका पालन करना सुनिश्चित किया जाता है। –**प्रमुसाप्र** **निर्माण संगठन,महेन्द्रूघाट महाप्रबंधक कार्यालय, हाजीपुर सेल से ही कार्य करता है।– मुप्रधि/नि.** महिला उत्पीड़न मामलों के लिए महिला उत्पीडन संगठन कार्यरत है। –**प्रमुयांई** नोट किया गया।– **प्रमुविइं** अनुपालन किया जाएगा।–**प्रमुसिदूइं** महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों को निपटाने के लिए कार्मिक विभाग में महिला यौन उत्पीडन समिति गठित है, तथा इस प्रकार के मामले में त्वरित कार्यवाही किया जाता है। –**प्रमुचिनि** यह कार्य मूलरूप से कार्मिक विभाग द्वारा किया जाना है।–**प्रमुवाप्र** नोट किया गया। इस पर कार्रवाई की जा रही है। – **प्रमुपरिप्र** महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों को निपटाने के लिए मुख्यालय में महिला यौन उत्पीड़न समिति कार्यरत है, जो प्राप्त शिकायतों का त्वरित निपटारा करती है। – **प्रमुकाधि** यह कार्मिक विभाग से संबंधित है फिर भी उत्पीड़न का कोई मामला सामने आने पर विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जायेगी। **–प्रमुइं**
2.0	**श्री एस.एन.पी.श्रीवास्तव, महासचिव/ईसीआरकेयू**		
2.1	महिला रेलकर्मियों का गैंग बनाकर इनसे यार्ड में कार्य कराया जा सकता है ।	प्रमुइं प्रमुपरिप्र प्रमुयांई	कार्य की आवश्यकता एवं महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुपालन करने पर विचार किया जायेगा। नोट किया गया। महिला कर्मचारियों का समूह बनाकर यार्ड में भेजा जाता है।
2.2	महिला रेलकर्मियों को रात्रि पाली ड्यूटी दो दिनों का किया जाए ।	प्रमुपरिप्र प्रमुविइं, प्रमुयांई प्रमुवाप्र	नोट किया गया। नोट किया गया। महिला कर्मचारियों को रात्रि पाली में कार्य नहीं कराया जाता है। वाणिज्य विभाग में पूर्व से ही इसका अनुपालन किया जा रहा है।
2.3	महिला गार्ड एवं लोको पायलट हेतु समुचित रनिंग रूम की व्यवस्था की जाए ।	प्रमुपरिप्र, प्रमुइं प्रमुविइं प्रमुयांई	इस संबंध में सभी मंडलों को पत्र भेजा गया है। यांत्रिक/परिचालन विभाग की टिप्पणी अपेक्षित है। पूर्व मध्य रेल विद्युत विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाली महिला लोको पायलटों के लिए अलग रूम तथा बाथरूम की व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्देश दिया जा चुका है। रनिंग रूम में महिला लोको पायलट एवं गार्ड को रहने के लिए अलग से कमरों की व्यवस्था की गई है।

2.4	रेलवे में महिलाकर्मियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	नोट किया गया।– **मुसंधि** समय–समय पर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाती है।– **प्रविस** नोट किया गया एवं इसका पालन करना सुनिशिचित किया जाता है। –**प्रमुसाप्र** इस संबंध में प्रयास जारी है।– **मुप्रधि/नि.** महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है।–**प्रमुयांई** नोट किया गया।– **प्रमुविइं** अनुपालन किया जा रहा है ।–**प्रमुसिदूइं** सुनिश्चित किया जाता है।–**प्रमुचिनि** अपनी योग्यता एवं दक्षता के बल पर निर्धारित कार्यों का निर्वहन करते हुए वाणिज्य विभाग की महिला कर्मी स्वतः मुख्य धारा में है।–**प्रमुवाप्र** महिला रेल कर्मियों को उनके कार्य के अनुरूप कार्य आवंटित कर मुख्य धारा में लाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं।– **प्रमुपरिप्र** नोट किया गया। – **प्रमुकाधि** नोट किया गया।–**प्रमुइं**
2.5	महिलाओं के लिए सभी मंडलों में यूनियन की एक शाखा बनाई जाए ।	सभी मंडल रेल प्रबंधक	इसके लिए अध्ययन किया जाएगा। –**मंरेप्र/मुगलसराय** अनुपालन हेतु नोट किया गया। –**मंरेप्र/समस्तीपुर** दानापुर मंडल में महिला शाखा मौजूद हैं। – **मंरेप्र/ दानापुर** नोट किया गया।– **मंरेप्र/धनबाद**
3.0	**श्री डी.के.पाण्डेय, अपर महासचिव, ईसीआरकेयू**		
3.1	रेलवे में महिला रेलकर्मियों के लिए कॉमन रूम, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाए ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	नोट किया गया।– **मुसंधि** रेसुब में महिला कर्मियों हेतु बुनियादी सुविधा का ख्याल रखते हुए कॉमन रूम की व्यवस्था है । जहां पर सुविधा नहीं है, वहॉ पर उपलब्ध कराने हेतु प्रयास जारी है ।– **प्रमुसुआ** नोट किया गया।– **प्रविस** भंडार विभाग में उपल्बध है।– **प्रमुसाप्र** बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है एवं अन्य सुविधाएं हेतु प्रयास जारी है।– **मुप्रधि/नि.** धनबाद में महिला कर्मियों के लिए कॉमन रूम एवं धनबाद, गोमो, बरकाकाना, पतरातू एवं बरवाडीह के अलावा अन्य डिपो में शौचालय की व्यवस्था की गई है, जिन डिपो में कॉमन रूम एवं शौचालय नहीं है वहां के लिए नोट किया गया है।–**प्रमुयांई** विद्युत विभाग में महिला कर्मचारियों के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध है।**– प्रमुविइं** अनुपालन किया जा रहा है ।–**प्रमुसिदूइं** चिकित्सा विभाग में महिला कर्मचारियों के लिए कॉमन रुम साथ ही साथ अलग से महिला शौचालय उपलब्धता हेतु संबंधित विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। –**प्रमुचिनि** महिला रेल कर्मियों के लिए उनके कार्य स्थल पर

			सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है तथा भविष्य में इसमें और सुधार किया जाएगा।–**प्रमुवाप्र** महिला कर्मचारी के लिए सभी बुनियादी सुविधा की व्यवस्था की गयी है।– **प्रमुपरिप्र** यह इंजीनियरिंग एवं प्रशासन विभाग से संबंधित है।– **प्रमुकाधि** अधिकांश स्टेशनों पर इसकी सुविधा दी जा रही है।**–प्रमुइं**
3.2	मंडल एवं मुख्यालय में कार्यरत महिला कर्मियों को समय सीमा की पाबंदी की जगह उनको काम निर्धारित कर दिया जाए इससे उनमें दायत्वि बोध बढेगा।	सभी प्रविभागाध्यक्ष, सभी मंडल रेल प्रबंधक	नोट किया गया।– **मुसंधि** नोट किया गया है ।–**प्रमुसुआ** नोट किया गया।**– प्रविस** नोट किया गया। –**प्रमुसाप्र** इस संबंध में प्रयास जारी है।– **मुप्रधि/नि.** महिला कर्मियों को पाबंदी नहीं दी जाती है।–**प्रमुयांई** नोट किया गया। – **प्रमुविइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया।–**मंरेप्र/मुगलसराय** अनुपालन हेतु नोट किया गया। –**मंरेप्र/समस्तीपुर** दानापुर मंडल में ऐसा किया जाता हैं। – **मंरेप्र/दानापुर** नोट किया गया।– **मंरेप्र/धनबाद** विचार किया जाएगा।–**प्रमुसिदूइं** यथा सम्भव कराया जाएगा।–**प्रमुचिनि** मंडल एवं मुख्यालय में कार्यरत महिला कर्मियों में दायित्व बोध बढ़ाने हेतु कार्यो का आवंटन किया जाता है।–**प्रमुवाप्र** नोट किया गया। –**प्रमुपरिप्र** नोट किया गया। – **प्रमुकाधि** कार्य अवधि की समय सीमा सभी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित है और सभी कर्मचारियों का कार्य निर्धारित किया जाता है। **–प्रमुइं**
3.3	मुख्यालय स्तर पर महिला प्रकोष्ठ का गठन किया जाय।	प्रमुकाधि	इस संबंध में रेलवे बोर्ड से प्राप्त दिशा–निर्देश का पालन किया जाता है।
4.0	**श्री एस.एस.डी.मिश्रा, सहायक महासचिव/ईसीआरकेयू**		
4.1	रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार यदि पति–पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो उन्हें यथासंभव एक ही स्थान पर या नजदीकी स्थल पर पदस्थापना सुनिश्चित की जाए ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	नोट किया गया ।– **मुसंधि** यदि पति–पत्नी सरकारी सेवा में है तो उन्हें यथा संभव एक ही स्थान पर या नजदीकी स्थल पर पदस्थापित किया जाता है ।–**प्रमुसुआ** समय–समय पर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाती है।– **प्रविस** नोट किया गया। –**प्रमुसाप्र** इस संबंध में प्रयास जारी है।– **मुप्रधि/नि.** सुनिश्चित की जाती है। – **प्रमुयांई** विद्युत विभाग में यथासंभव प्रयास किया जाता है। **– प्रमुविइं** अनुपालन किया जाएगा।–**प्रमुसिदूइं** सुनिश्चित किया जाता है।–**प्रमुचिनि** यदि पति–पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं

			तो उन्हें यथासंभव एक ही स्थान पर या नजदीकी स्थल पर पदस्थापित करने हेतु रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन किया जाता हैं।–**प्रमुवाप्र** नोट किया गया। परिचालन विभाग में इसका ध्यान रखा जाता है।–**प्रमुपरिप्र** इस प्रकार के जो भी स्थानांतरण के आवेदन प्राप्त होते हैं उस पर रेलवे बोर्ड के नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।– **प्रमुकाधि** कार्मिक विभाग से संबंधित है। तथापि इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। **–प्रमुइं**
4.2	महिला रेलकर्मियों के लिए अलग से शौचालय का निर्माण कराना सुनिश्चित की जाए ।	प्रमुयांई प्रमुइं	धनबाद, बरकाकाना, गोमो, पतरातू एवं बरवाडीह में महिला कर्मियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था की गई है। जिन डिपो पर नहीं है वहां लिए नोट किया गया है। लगभग सभी जगह महिलाओं के लिए अलग से शौचालय का व्यवस्था है।
4.3	महिला रेलकर्मियों के लिए कॉमन रूम एवं चेंजिंग रूम उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	नोट किया गया।– **मुसंधि** रेसुब महिला कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधा का ख्याल रखते हुए कॉमनरूम की व्यवस्था किया गया है ।–**प्रमुसुआ** नोट किया गया।– **प्रविस** भंडार विभाग में उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। ।–**प्रमुसाप्र** बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है एवं अन्य सुविधाएं हेतु प्रयास जारी है।– **मुप्रधि/नि.** धनबाद में महिला कर्मियों के लिए कॉमन रूम एवं चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। जिन डिपो पर नहीं है वहॉ के लिए नोट किया गया है। – **प्रमुयांई** नोट किया गया।– **प्रमुविइं** प्रमुसिदूइं/हाजीपुर के कार्यालय में महिला रेलकर्मियों के लिए कॉमन रूम उपलब्ध करा दिया गया है।–**प्रमुसिदूइं** इस संबंध में संबंधित विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। –**प्रमुचिनि** समस्तीपुर मंडल में रेल कर्मियों के लिए कॉमन रूम एवं चेंजिंग रूम उपलब्ध है। मुगलसराय मंडल कार्यालय में कॉमन रूम है, आर.पी.एफ महिला कर्मियों के लिए स्टेशन पर चेंजिंग रूम उपलब्ध है।–**प्रमुवाप्र** नोट किया गया। –**प्रमुपरिप्र** यह इंजीनियरिंग एवं प्रशासन विभाग से संबधित है। – **प्रमुकाधि** महिला रेलकर्मियों के लिए कॉमन रूम एवं चेंजिंग रूम के लिए कोई मापदण्ड सुनिश्चित किया जाय ताकि महिला रेल कर्मियों के लिए कॉमन रूम एवं चेंजिंग रूम का व्यवस्था किया जा सके।**–प्रमुइं**
4.4	महिलाओं का एक समूह बनाकर उनसे यार्ड में कार्य	प्रमुपरिप्र	नोट किया गया।–**प्रमुपरिप्र**

	कराया जाए ।		
4.5	रेलवे में कार्यरत महिला खिलाड़ियों के अभ्यास के स्थान के नजदीक ही आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	नोट किया गया।– **मुसंधि** नोट किया गया।– **प्रविस** नोट किया गया ।– **प्रमुयांई** विद्युत विभाग में महिला रेलकर्मी खिलाड़ियों को उनके अभ्यास स्थान से नजदीक ही आवास उपलब्ध कराई गई है। – **प्रमुविइं** अनुपालन किया जाएगा।–**प्रमुसिदूइं** यह चिकित्सा विभाग से संबंधित नही है।–**प्रमुचिनि** यह प्राथमिकता एवं उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। मंडल एवं मुख्यालय स्तर के क्वार्टर कमेटी द्वारा इस पर कार्रवाई की जानी है।–**प्रमुवाप्र** नोट किया गया। इसका अनुपालन किया जा रहा है।–**प्रमुपरिप्र** रेल आवासों का निर्माण एवं उनका आवंटन क्रमशः इंजीनियरिंग एवं प्रशासन विभाग से संबंधित है। – **प्रमुकाधि** आवास आवंटन एक नियम के अंतर्गत किया जाता है। और यदि इस तरह का प्रावधान होगा तो विचार किया जायेगा। **–प्रमुइं**
5.0	**श्री आर. एन. पासवान, जोनल महासचिव , एससी एसटी एशो.**		
5.1	रेलवे में महिला रेलकर्मियों का मनोबल ऊंचा बनाए रखा जाए ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	नोट किया गया।– **मुसंधि** रेसुब में महिला कर्मियों को एवं अन्य बलकर्मियों को समय–समय पर पुरस्कृत कर उनके प्रति साकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता है। –**प्रमुसुआ** समय–समय पर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाती है।– **प्रविस** नोट किया गया एवं अनुपालन करना सुनिशिचित किया जाता है। –**प्रमुसाप्र** महिला रेलकर्मियों का मनोबल ऊंचा बनाए रखने हेतु प्रयास जारी है।– **मुप्रधि/नि.** महिला कर्मियों के मनोबल को हमेशा ऊंचा रखने का प्रयास किया जाता है। – **प्रमुयांई** नोट किया गया।– **प्रमुविइं** अनुपालन किया जा रहा है ।–**प्रमुसिदूइं** सुनिश्चित किया जाता है।–**प्रमुचिनि** रेलवे में महिला रेलकर्मियों का मनोबल ऊंचा रखने हेतु समय–समय पर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है।– **प्रमुवाप्र** महिला रेलकर्मियों के मनोबल को बनाये रखना विभाग की जिम्मेवारी है। –**प्रमुपरिप्र** नोट किया गया। – **प्रमुकाधि** नोट किया गया। **–प्रमुइं**
5.2	रेलवे में महिला रेलकर्मियों के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखा जाए ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	नोट किया गया।– **मुसंधि** रेसुब में महिला कर्मियों को एवं अन्य बलकर्मियों को समय–समय पर पुरस्कृत कर उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता है। –**प्रमुसुआ** नोट किया गया।– **प्रविस**

			नोट किया गया और अनुपालन किया जाता है। –**प्रमुसाप्र** महिला रेल कर्मचारियों के प्रति आदर एवं सम्मान रखा जाता है।– **मुप्रधि/नि.** महिला कर्मियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण अच्छा रहता है।– **प्रमुयांई** नोट किया गया।– **प्रमुविइं** अनुपालन किया जा रहा है ।–**प्रमुसिदूइं** सुनिश्चित किया जाता है।–**प्रमुचिनि** रेलवे प्रशासन हर संभव प्रयास करता है कि महिला रेलकर्मियों को शिकायत करने का कोई कारण न हो।–**प्रमुवाप्र** नोट किया गया।–**प्रमुपरिप्र** सभी के प्रति अच्छा दृष्टिकोण ही रखा जाता है। – **प्रमुकाधि** महिला कर्मचारियों के प्रति सदैव ही अच्छा द्ष्टिकोण रखा जाता है। **–प्रमुइं**
5.3	रेलवे में महिला रेलकर्मचारियों के कल्याण एवं उनके समस्याओं के विश्लेषण हेतु माह में एक बार संबंधित पर्यवेक्षक/अधिकारी स्तर पर सेमिनार का आयोजन किया जाए ।	प्रमुकाधि	नोट किया गया।– **प्रमुकाधि**
6.0	**श्री सुशील कुमार, अध्यक्ष ईसीआरपीएफए**		
6.1	रेलवे में महिला कर्मियों के सशक्तिकरण के प्रयास के बजाए उनको प्रोत्साहित करने की क्षमता विकसित करने की जरूरत है ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	नोट किया गया । – **मुसंधि** नोट किया गया । –**प्रमुसुआ** नोट किया गया। – **प्रविस** नोट किया गया। –**प्रमुसाप्र** इस संबंध में प्रयास जारी है। – **मुप्रधि/नि.** महिला कर्मियों को प्रोत्साहित करने की क्षमता को विकसित किया जाता है। – **प्रमुयांई** नोट किया गया। – **प्रमुविइं** अनुपालन किया जाएगा। –**प्रमुसिदूइं** सुनिश्चित किया जाता है। –**प्रमुचिनि** नोट किया गया । –**प्रमुवाप्र** नोट किया गया। –**प्रमुपरिप्र** नोट किया गया। – **प्रमुकाधि** महिला कर्मचारियों को हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है। **–प्रमुइं**
6.2	रेलवे में महिला रेलकर्मियों की नियुक्ति करने से पूर्व उनकी रेल में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को शामिल करते हुए एक कमिटि का गठन किया जाए ।	प्रमुकाधि	नियुक्ति से पूर्व ऐसा समीचीन नही है।

7.0	**श्री ओ.पी.चौधरी, कार्यकारी महासचिव, ईसीआरपीएफए**		
7.1	मार्गरक्षण दस्ता में महिला रेलकर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ।	प्रमुसुआ	मार्गरक्षण दस्ते में महिला बल कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित किया जा रहा है और उपलब्धता के आधार पर मार्गरक्षण कराया जा रहा है ।
7.2	प्लेटफार्म, सर्कुलेटिंग क्षेत्र एवं चेकिंग में महिला रेल सुरक्षा बल कर्मियों को ड्यूटी पर लगाना सुनिश्चित किया जाए एवं इसके अनुकूल मूलभूत सूविधा उपलब्ध कराई जाए ।	प्रमुसुआ	प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग क्षेत्र एवं चेकिंग में महिला बलकर्मियों की ड्यूटी लगाया जा रहा है और आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।
7.3	सभी बड़े स्टेशनों पर महिला बैरक उपलब्ध कराया जाए ।	प्रमुसुआ प्रमुइं	रेसुब महिला बलकर्मियों के लिए बैरक हेतु दानापुर में 50 बेड का बैरक का प्रस्ताव IRPSM के माध्यम से दिया गया है । अन्य मंडलों में प्रयास जारी है । संबंधित विभाग से प्रस्ताव आने पर निधि उपलधता के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
7.4	रेलवे में महिला कर्मियों की अंतिम भर्ती प्रकिया पूरी करने से पूर्व उनकी कार्य की प्रकृति के अनुकूल आवास आदि की व्यवस्था समुचित रूप से पूरी कर ली जाए ।	प्रमुकाधि	रेल आवासों का निर्माण एवं उनका आवंटन क्रमशः इंजीनियरिंग एवं प्रशासन विभाग से संबंधित है।
7.5	केंद्रीय चिकित्सालय, पटना में लेप्रोस्कोपी विधि से शल्य चिकित्सा की सुविधा सुनिश्चित की जाए तथा ऐसी व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में शहर के प्रमुख चिकित्सालयों में केस रेफर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ।	प्रमुचिनि	केंद्रीय चिकित्सालय, पटना में लेप्रोस्कोपी विधि से शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है तथा आवश्यकतानुसार अनुबंधित अस्पताल व सरकारी अस्पताल में रेफर किया जाता है।
8.0	**श्री पी. के. सिंह, महासचिव, ओबीसीआरईए**		
8.1	महिला रेलकर्मियों के लिए उनके कार्यस्थल के नजदीक अलग से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ।	प्रमुयांई प्रमुइं	धनबाद, बरकाकाना, गोमोह, पतरातू एवं बरवाडीह में महिला कर्मियों के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है। जिन डिपो पर नहीं है वहॉ के लिए नोट किया गया है। नोट किया गया।
8.2	महिला रेलकर्मियों को खेल–कूद एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीन विकास हो सके ।	प्रमुकाधि	नोट किया गया।
8.3	महिला रेलकर्मियों को	सभी	नोट किया गया।– **मुसंधि** अनुपालन हेतु नोट किया गया है । –**प्रमुसुआ**

	यथासंभव दिन की पाली में कार्य कराया जाए ताकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहण समुचित रूप से कर सकें जिससे रेलवे के साथ–साथ पूरे समाज पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा ।	प्रविभागाध्यक्ष	लेखा विभाग में महिला रेलकर्मियों को दिन के पाली में ही कार्य कराया जाता है।– **प्रविस** भंडार विभाग में दिन की पाली में ही कार्य होता है।–**प्रमुसाप्र** रनिंग रूम में महिला कर्मचारियों को रात्रि में कार्य नहीं कराया जाता है।– **प्रमुयांई** विद्युत विभाग में महिला रेलकर्मियों को यथासंभव दिन ड्यूटी कराई जाती है।– **प्रमुविइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया।–**प्रमुसिदूइं** हॉस्पीटल में एच.ओ.इ.आर के अनुसार ड्यूटी लगाया जाता है।– **प्रमुचिनि** रेल हित बाधित न हो इसे ध्यान में रखते हुए महिला रेलकर्मियों को यथासंभव दिन की पाली में ही कार्य कराने हेतु हर संभव प्रयास किया जाता है।–**प्रमुवाप्र** परिचालन विभाग में सभी महिला कर्मचारियों को दिन की पाली में ही काम कराया जाता है।–**प्रमुपरिप्र** कार्मिक विभाग के रेलकर्मियों की ड्युटी दिन में ही होती है। – **प्रमुकाधि** इस पर नियमानुसार विचार किया जाता है। **–प्रमुइं**
9.0	**श्री पी.आर. सिंह , महासचिव, इसीआरपीओए**		
9.1	महिला रेलकर्मियों के लिए समुचित बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ अच्छा माहौल तैयार किया जाना चाहिए इससे उनके कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि होगी ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	नोट किया गया। – **मुसंधि** अनुपालन हेतु नोट किया गया है । –**प्रमुसुआ** नोट किया गया। – **प्रविस** नोट किया गया एवं अनुपालन करना सुनिशिचित किया जाता है। –**प्रमुसाप्र** बुनियादी सुविधाएं एवं सौहर्दपूर्ण वातावरण उपल्बध है। – **मुप्रधि/नि.** महिला कर्मियों के बुनियादी सुविधा की समुचित व्यवस्था की गई है। – **प्रमुयांई** नोट किया गया। – **प्रमुविइं** अनुपालन किया जा रहा है । –**प्रमुसिदूइं** सुनिश्चित किया जाता है। –**प्रमुचिनि** महिला रेलकर्मियों के लिए कार्य स्थल पर सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ अच्छा माहौल तैयार किया गया है, जिससे महिला रेलकर्मियों के कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्वि हो सके। शिष्टाचार गोष्ठी के माध्यम से स्टेशन/कार्यालय में महिला कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार के लिए बल दिया जा रहा हैं। –**प्रमुवाप्र** महिला कर्मचारी के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गयी हैं। –**प्रमुपरिप्र** नोट किया गया। – **प्रमुकाधि** महिला कर्मचारियों के लिए हमेशा ही अच्छे माहौल के लिए ही प्रयास किया जाता है और सभी स्तर पर इसकी आवश्यकता है। **–प्रमुइं**
9.2	इस बात का पूरा–पूरा ध्यान	सभी	नोट किया गया ।– **मुसंधि**

	रखा जाए कि महिला रेलकर्मियों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया जा रहा हो और ऐसा करने वालों को चिन्हित कर कड़ाई से पेश आना चाहिए ।	प्रविभागाध्यक्ष	रेसुब में इस बात का विषेश ध्यान दिया जा रहा है कि महिला बल कर्मी अपने–आप को सुरक्षित समझें ।–**प्रमुसुआ** महिला रेलकर्मियों के साथ अनुचित व्यवहार करने वालों साथ आवश्यक प्रशासनिक/ दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।– **प्रविस** नोट किया गया एवं अनुपालन करना सुनिशिचित किया जाता है। –**प्रमुसाप्र** इस संबंध में कार्रवाई किया जाएगा।– **मुप्रधि/नि.** महिला कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार कोई बुरा व्यवहार न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। – **प्रमुयांई** विद्युत विभाग में इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। – **प्रमुविइं** अनुपालन किया जा रहा है ।–**प्रमुसिदूइं** सुनिश्चित किया जाता है।–**प्रमुचिनि** महिला रेल कर्मियों के साथ अनुचित व्यवहार की कोई शिकायत प्राप्त होने पर दोषी व्यक्ति को चिन्हित कर उसके विरूद्द रेलवे द्वारा सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। कर्मचारियों की सुविधा हेतु शिकायत सेल भी कार्यरत है।–**प्रमुवाप्र** नोट किया गया। इसका ध्यान रखा जाता है।–**प्रमुपरिप्र** नोट किया गया। – **प्रमुकाधि** इसका पालन सभी जगहों पर किया जा रहा है।–**प्रमुइं**
10.0	**श्री एल.सी. त्रिवेदी, महाप्रबंधक, सह अध्यक्ष/प्रेम ग्रुप**		
10.1	बैठक की अध्यक्षता करते हेतु आदरणीय महाप्रबंधक महोदय ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जब कभी भी महिलाओं के संबंध में चर्चा का विषय हो तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।	सभी प्रविभागाध्यक्ष, उपमहाप्रबंधक/सा. सभी यूनियन/एशो. अध्यक्ष	नोट किया गया।– **मुसंधि** अनुपालन हेतु नोट किया गया है ।–**प्रमुसुआ** नोट किया गया।– **प्रविस** नोट किया गया। –**प्रमुसाप्र** इस संबंध में ध्यान रखा जाएगा।– **मुप्रधि/नि** नोट किया गया ।–**प्रमुयांई** नोट किया गया।– **प्रमुविइं** अनुपालन किया जाएगा।–**प्रमुसिदूइं** सुनिश्चित किया जाता है।–**प्रमुचिनि** नोट किया गया।–**प्रमुवाप्र** नोट किया गया। –**प्रमुपरिप्र** प्रेम ग्रुप के बैठक का आयोजन प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। कार्मिक विभाग द्वारा आयोजित स्थायी वार्ता तंत्र की बैठकों में यूनियन के महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है।– **प्रमुकाधि** यूनियन की ओर से श्रीमती मृदुला कुमारी ,चीफ मैट्रन,केंद्रीय सुपर स्पेशलिटी ,अस्पताल पटना महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेगी।–**ईसीआरकेयू** नोट किया गया। **–प्रमुइं** प्रेम ग्रुप के बैठक में महिलाओं के संबंध में चर्चा का विषय होने पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व

			सुनिश्चित किया जाएगा। – **उपमहाप्रबंधक/सा.**
10.2	महिलाओं के कार्य स्थल पर इस प्रकार का वातावरण बनाया जाय कि हम सभी उनके सुख–दुख के सहभागी हो और उनसे अधिक से अधिक कार्य निष्पादन कराया जा सके।	सभी प्रविभागाध्यक्ष	नोट किय गया।– **मुसंधि** अनुपालन हेतु नोट किया गया है ।–**प्रमुसुआ** नोट किया गया।– **प्रविस** नोट किया गया एवं अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाता है। –**प्रमुसाप्र** सौहर्दपूर्ण वातावरण है।– **मुप्रधि/नि.** महिलाओं के कार्य स्थल पर इस प्रकार का वातावरण बनाया जाता है कि हम सभी सुख–दुख के सहभागी हैं तथा उनसे अधिक से अधिक कार्य लिया जा सके।– **प्रमुयांई** विद्युत विभाग में इन बातों का पूरा ख्याल रखा जाता है।– **प्रमुविइं** अनुपालन किया जा रहा है ।–**प्रमुसिदूइं** सुनिश्चित किया जाता है।–**प्रमुचिनि** इसके लिए रेलवे प्रशासन सजग एवं प्रयत्नशील रहता है। –**प्रमुवाप्र** इसका बात का पूरा ध्यान दिया जाता है।–**प्रमुपरिप्र** नोट किया गया। – **प्रमुकाधि** अनुपालन किया जायेगा।–**प्रमुइं**

*****